

11	<p>उच्चतम शांकिक अहंता: (प्रगतिपूर्वक/विस्तृत/किसी पादयक्षम के पूरे नाम का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय विज्ञा के बोर्ड दें, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम दें और वह वर्ष का बोर्ड दें जिसमें पादयक्षम पूरे जिया गया था।)</p>
----	---

दृष्टि-ए-प्रियजन गौणी भ्रातृज-व्यापक-लोक/श्रावक-विज्ञा-विद्यालय 1984
 वन-ए-डॉ. समर्थन-नन्द-प्रियजन-विद्यालय 1992

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी यह सत्यापित और घोषिता करता हूँ कि इस शपथपत्र की अन्तिवस्तु सेरे सर्वत्र ज्ञान और विश्वास के अनुबार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्पर्य वात छिपायी नहीं गयी है। मैं यह भी घोषित करता हूँ कि:-

(अ) पूर्वोक्त भाग 'आ' की मद 5 और मद 6 और भाग 'आ' में उल्लिखित से मिन्न किसी मामले में मैं दोषसिद्ध नहीं हुआ हूँ या कोई मामला मेरे विरुद्ध लंबित नहीं है।

(ख) पूर्वोक्त भाग 'आ' की मद 7 और मद 8 तथा भाग 'आ' की मद 8, मद 9 और मद 10 में उल्लिखित से मिन्न मेरी मेरी पति/मेरी पत्नी या मेरे आश्रित को कोई भी सम्पत्ति या दायित्व नहीं है।

मेरा 13/1/17 स्थान पर आज तारीख 13/1/17 को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर



MANSINGH YADAV
Advocate
NOTARY PUBLIC
13/1/17

8. आस्तियों और दायित्वों के रूपए में व्यौरे

	विवरण	रद्दए	पति / घर्त्वी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	जगम आस्तिया (कुल मूल्य)	55.000	20.000	0.000	नहीं	नहीं
ख	स्थान आस्ति	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
I.	स्वाजित स्थान संपत्ति की क्रय कीमत					
II.	क्रय के पश्चात् स्थान संपत्ति के विकास / निर्माण लागत (यदि लाग हो)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
III.	(क) स्वाजित आस्तियों (कुल मूल्य) (ख) विवाहस्ती आस्तियों (कुल मूल्य) की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

9. दायित्व

(i)	सरकारी देय (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

10. दायित्व जो विवादधर्ता है

(i)	सरकार के देय (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं



(9) वृत्ति या उपजीविका के बारे :-
 क. स्थं प्राइवेट लिमिटेड
 ख. पति/पत्नी श्री हर्षल

(10) वृत्तीया उपजीविका के बारे :-

(प्रमाणपत्र/दिल्लीना/दिग्गज पाठ्यक्रम के पूरे नाम का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/
 विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में, विद्यालय/हासिलालय/विश्वविद्यालय का नाम दें और वह वर्ष का
 बोरा दें जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था।)

बैठक अंक वीडियो विभाग का नंगरा 1984
 बैठक अंक विभाग का नंगरा 1992

भाग—ख

(11) भाग (क) के (1) से (10) में दिए गए ब्यौरे का सार

1. अध्यक्षी का नाम	श्री श्रीमती/स्त्री श्रीमती/स्त्री
2. डाक का घूरा पता	नंगरा बालपुर झरवाली नंगरा बालपुर झरवाली
3. निवासन सेत्र की संख्या और नाम वर्षा वर्ष	५५३ चूपल UP
4. राजनीतिक दल का नाम जिसमें अध्यक्षी को खड़ा किया है (अन्यथा निर्दलीय—लिखें)	आर्थिक व्यवस्था पर्दी
5. (i) लंबित मानवों की कुल संख्या जहाँ न्यायालय/न्यायालयों ने संखार किया है (उपर सद. (i) में उल्लिखित मानवों से मिलन)	नहीं
6. उन मानवों की संख्या जिनमें दोषसिद्ध और एक वर्ष या अधिक के कारणात्म से दंडादेश किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपचारा (1), उपचारा (2) और उपचारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय	नहीं
(क) अध्यक्षी	CSC IV 68470
(ख) पति/पत्नी	नहीं
(ग) आक्रित	नहीं



(e) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्व/देयों द्वारे नीचे देता हूँ :-

(टेपणी : कपया प्रत्येक नम के सामने बैक, संस्था, अस्तित्व या व्यापार के नाम और रकम के अलग-अलग द्वारे हैं)

क्र०. सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आक्रित-1	आक्रित-2	आक्रित-3
(i)	बैक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) के ऋण या देय, बैक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण का प्रकार	मैट्टु काहु	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	उपर उल्लिखित से भिन्न किसी अन्य व्यापार/अस्तित्व के ऋण या देय, नाम, बकाया रकम, ऋण का प्रकार	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	कोई अन्य दायित्व	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	दायित्वों का कुल योग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ii)	सरकार के देय :					
	सरकारी आवास तुविधा से संबंधित विभाग को देय	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	जल प्रदाय से सम्बंधित विभाग को देय	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विद्युत प्रदाय से सम्बंधित विभाग को देय	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	टेलीफोन/सोबाइलों की पूर्ति से सम्बंधित विभागों को देय	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	सरकारी परिवहन से सम्बंधित विभाग को देय (वायुयान और हेलिकॉप्टरों सहित)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	आवाकर देय	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	सम्पादिकर देय	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	सेवाकर देय	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	नगरपालिका/संपत्ति कर देय	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विक्रीकर देय	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	कोई अन्य देय	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	सरकारी सभी देयों का कुल योग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iv)	व्या कोई अन्य दायित्व विवाद ग्रस्त है यदि है तो अंतर्भूत रकम और उस प्राविकारी का उल्लेख करें जिसके सम्बन्ध संबंधित हैं।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं



[Signature]

(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) स्थान संरक्षण संख्याक	नई नई नई नई नई	नई नई नई नई नई	नई नई नई नई नई	नई नई नई नई नई
	कोत्र (वर्ग फीट में कुल माप)	नई	नई	नई	नई
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फीट में कुल माप)	नई	नई	नई	नई
	क्या विवासाय संपत्ति है (हाँ या नहीं)	नई	बड़ी	बड़ी	नई
	स्वाचित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नई	नई	नई	नई
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	बड़ी	नई	नई	नई
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनाशान	नई	नई	नई	नई
	अनुग्राहित वर्तमान बाजार मूल्य	नई	नई	नई	नई
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) स्थान संरक्षण संख्याक	नई	नई	नई	नई
	कोत्र (वर्ग फीट में कुल माप)	नई	नई	नई	नई
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फीट में कुल माप)	नई	नई	बड़ी	नई
	क्या विवासाय संपत्ति है (हाँ या नहीं)	बड़ी	नई	नई	नई
	स्वाचित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नई	बड़ी	नई	नई
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	बड़ी	बड़ी	बड़ी	नई
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनाशान	नई	नई	बड़ी	नई
	अनुग्राहित वर्तमान बाजार मूल्य	बड़ी	बड़ी	बड़ी	बड़ी
	अन्य (जैसे संपत्ति में हिले)	नई	नई	नई	नई
(vi)	क्रय (i) से (v) का कुल वर्तमान बाजार मूल्य	बड़ी	बड़ी	बड़ी	बड़ी




ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे (Details of Immovable Assets)

टिप्पणी:-

1. संयुक्त स्वामित्व वाली सम्पत्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को भी उपदर्शित किया जाना
2. इस रूप विधान में प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का अलग से उल्लेख होना चाहिए

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि का/के स्थान, सर्वेक्षण संख्याक	प्रताप गढ़	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	1/4 एकड़ा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्या विरासती संपत्ति है (हाँ या नहीं)	है	कहीं	कहीं	कहीं	कहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	नहीं	नहीं	नहीं	कहीं	कहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ii)	गैर-कृषि भूमि :					
	स्थान	कहीं	नहीं	नहीं	नहीं	कहीं
	सर्वेक्षण संख्याक	कहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्या विरासती संपत्ति है (हाँ या नहीं)	कहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं	कहीं	नहीं	नहीं	कहीं
	विकास, निर्माण आदि के रूप भूमि पर किया गया कोई विनिधान	नहीं	कहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	कहीं	नहीं	नहीं	नहीं	कहीं



क्र.सं०	विवरण	स्वयं	पते/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में रोक़ळ	5000	2000	नहीं	नहीं	नहीं
(ii)	बैंक खातों में निषेप के ब्यौरे (एफडीआर, आत्मि निषेप और बचत खातों सहित अथ यसी प्रकार के निषेप), वित्तीय संस्थानों, नैर शैकिंग, वित्तीय कंपनियों और राहकारी संसाइटियों में निषेप और ऐसे प्रत्येक निषेप की रकम।		नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iii)	बंधपत्रों, डिवेलरों/शेयरों और कम्पनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में विनिधान के ब्यौरे और रकम		नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iv)	एन०एस०एस०, डाकीय बचत, बीमा पालसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाक विभाग व बीमा कम्पनी के किसी वित्तीय लिखित में विनिधान और रकम	50,000	जीवन वापा	नहीं	नहीं	नहीं
(v)	या फर्म, कंपनी, न्यास आदि किसी व्यक्ति अस्तित्व को दिया गया व्यक्तिगत ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अथ प्राप्तियों और रकम		जारी नाइक्य	नहीं	नहीं	नहीं
(vi)	मोटरयान/वाहनों/नाव/जहाज (निर्माण, रजिस्ट्रेशन संख्या आदि का मॉडलनंबर ०५७३८४०५०५)	TUB/30 २०,०००	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(vii)	आमुख, बुलिपत्र और मूल्यदान चौंडे (मार और मूल्य के ब्यौरे)	नहीं	1 होल्डलैने २ अप्रैल ३०,०००	जटांगकोर उत्तरांग ४०,०००	नहीं	नहीं
(viii)	कोई अन्य आस्तियाँ जैसे दावे का मूल्य/व्याज	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ix)	सकल कुल मूल्य	55000	20,000	8000	नहीं	नहीं



✓
Signature

- (6) मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपचारा (1) या उपचारा (2) में निर्दिष्ट या उपचारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से मिन्न के लिए एक वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डादिष्ट नहीं किया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपमुख्यत रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में, मुझे न्यायलय द्वारा सिद्धदोष और कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है।

(क)	सन्वाचित मामलों के अधिनियम (अधिनियमों), धारा (धाराओं) का व्यापा और अपराधों वर्णन जिनके लिए सिद्धदोष किया गया	नहीं
(ख)	न्यायलय (न्यायलयों) का नाम, मामला संख्या, और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें) -	नहीं
(ग)	अधिरोपित दण्ड	नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील का व्यौत्ता और वर्तमान प्रारंभिति :	नहीं

- (7) यह कि मैं, अपनी पत्नी/पति और आक्रितों की आस्तियों (स्थायी और अस्थायी आदि) का व्यौत्ता यहाँ नीचे देता हूँ :

क. जगम स्वास्तियों का व्यौत्ता (Details of movable assets):

टिप्पणी—

- संयुक्त नाम पर आस्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को “नी उप दर्शित किया जाना है
- निषेप/विनियान की दिशा में, क्रम संख्या, रकम, निषेप/विनियान की दिशा में, क्रम संख्या, रकम, निषेप की तारीख, बैंक/संस्थान और शाखा के नाम सहित व्यौत्ता दिया जाना है।
- वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों के वायत स्टाक एक्सचेंज में और अस्थीबद्ध कंपनियों की दिशा में लेखा वहियों के अनुसार बंधपत्र/विवेदक का मूल्य।
- आक्रित का वही अर्थ है जो जैसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 75 के स्पष्टीकरण (V) में उल्लक्ष है।
- प्रत्येक विनियान की वायत सातों लिंगों का लिंग स्पष्ट से दिया जाना है।



- (5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारबाह से दृढ़नीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्रम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(यदि अभियुक्ती ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/ करेगी):

- (i) मेरे लंबित मामले जिसमें न्यायालय ने दो वर्ष या अधिक के कारबाह से दृढ़नीय किसी अपराध के लिए आरोप विरचित किए हैं, निम्नलिखित है :-

(क)	संवाद पुरुष का नाम/ जिला/ जांच के पूर्ण विवरण के साथ मामला/ प्रथम तृतीय स्पॉट संख्या/ संख्याएँ	<i>नहीं</i>
(ख)	संवाद पुरुष का नाम/ जिला/ जांच के पूर्ण विवरण के साथ मामला/ प्रथम तृतीय स्पॉट संख्या/ संख्याएँ	<i>नहीं</i>
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख :	<i>नहीं</i>
(घ)	न्यायालय जिसने आरोप विरचित किये हैं।	<i>नहीं</i>
(ङ)	तारीख जिसमें आरोप विरचित किये गये।	<i>नहीं</i>
(च)	वया समी या किसी कारबाही पर किसी सक्रम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है।	<i>नहीं</i>

- (ii) निम्नलिखित मामले मेरे विरुद्ध लम्बित हैं, जिसमें न्यायालय ने संज्ञान लिया है, उपर मद (i)मे लिखित मामलों के आदेश :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख :	<i>नहीं</i>
(ख)	मामलों को व्यौरा जिनमें न्यायालयों ने संज्ञान लिया है, अधिनियम की धाराओं और अपराधों का विवरण जिनमें संज्ञान लिया गया :	<i>नहीं</i>
(ग)	उपरोक्त आदेश के विरुद्ध काइल की गई अपील, पुनरीक्षण के लिए आदेश (आवेदनों) (यदि कोई है), के बौरे	<i>नहीं</i>



निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश)

प्रकाश 26

(नियम ४क दार्खणे)



इलाहाबाद-झीसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन बोर्ड से उत्तर प्रदेश विधायक परिषद
 (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समझ अर्थात् दावा प्रस्तुत
 किया जाने वाला आधार

किया जान वाला शपथपत्र

भाग - ३

विवेकी ब्रह्मसंख्या विवाही पुरुषी/पत्नी स्वाम्भूतिरुद्धारणी^{लिङ्गाद्यायु} 53 वर्ष,
जो तथा विवाही विवाही का / की विवाही हैं, और उपरन्त निवाचन से अन्यर्थी हैं, सत्यनिषा से प्रतिज्ञा
करता हैं/करती हैं, साथ पर निम्नलिखित कथन करता हैं/करती हैं:-

- (1) मैं एक अर्थव्यापी हूँ जिसे **उत्तरीय उत्तरा-पाटी** (राजनीतिक दल का नाम) द्वारा छोड़ा किया गया / निर्विद्युत अर्थव्यापी के रूप में चुनाव में लड़ रहा हूँ।
 (**जो लागू न हो उसे काट दे)

(2) मेरा नाम (**प्रियंका शेर्मा** और **राज्या** का नाम) **२५३-प्रभल** (**सामाजिक**) उद्योग में क्रम सं. **७८५८** पर बाग सं. **१३** में प्रविष्ट है।

(3) मेरा / मेरे **८८८९३४३२२५** संपर्क दूसरामा संख्या / संख्याएँ हैं / हैं और **12345678901234567890** हैं - इन पाता (यदि कोई हो) है।

(4) स्थाई लेखा संख्याका (**पीए**) और आयकर विवरणी फाइल करने की प्रविष्टि के ब्यरे और आय कर विवरणी फाइल करने की प्राप्तिका :

क्रम सं.	नाम	पीयूस००१०(स्थायी खाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फारम ही गई है।	आयकर विवरणी में दर्शाई गई कुल आय (रुपए में)
1. स्वयं	प्रियंका प्रसाद चिप्पी	CYCLP 6847 D	नहीं	नहीं
2. पति या पत्नी	राजकुमारी चिप्पी	नहीं	नहीं	नहीं
3. आक्रित - 1	कुमुखी चिप्पी	नहीं	नहीं	नहीं
4. आक्रित - 2	मधुका चिप्पी	नहीं	नहीं	नहीं
5. आक्रित - 3	परमार्थ चिप्पी	नहीं	नहीं	नहीं

कार्यालय आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी।

संख्या—७८ 25/जे०१०-११ (2016-17)

दिनांक : जनवरी ३, 2017

जिला सूचना अधिकारी,
झांसी।

विषय— इलाहाबाद-झांसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विद्यान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन, 2017 हेतु नामांकन पत्र प्राप्त होने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय पर यह कहना है कि उत्तर प्रदेश विद्यान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2017 इलाहाबाद-झांसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिभाग हेतु श्री त्रिवेणी प्रसाद त्रिपाठी, नया बाजार, भरवारी, कौशांबी द्वारा दिनांक 13-01-2017 को 02 सेट में नामांकन पत्र प्रस्तुत किया है। नामांकन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा दिये गये शपथ पत्र, जिसमें उनकी सम्पत्ति एवं आपराधिक इतिहास प्रलेप-26 पर प्रस्तुत किया गया है, जिसे एक प्रति में आपको इस आशय से भेजा जा रहा है कि उक्त विवरण को दो स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का काट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

(उमर्मिला देवी सोनकर खावरी)
सहायक रिटार्निंग आफीसर,
इलाहाबाद-झांसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र/
अपर आयुक्त (प्रशासन),
झांसी मण्डल, झांसी।

संख्या—७९ 25/जे०१०-११ (2016-17) तददिनांक।
प्रतिलिपि अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
झांसी/नोडल आफीसर को आज ग्राप्त नामांकन पत्र के प्रलेप-26 तथा अतिरिक्त शपथ
पत्र की प्रति इस आशय से संलग्न कर भेजी जा रही है कि उक्त शपथ पत्र को मुख्य
निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ की बैबसाइड पर रक्केन कराकर अपलोड कराने का
काट करें।

(उमर्मिला देवी सोनकर खावरी)
सहायक रिटार्निंग आफीसर,
इलाहाबाद-झांसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र/
अपर आयुक्त (प्रशासन),
झांसी मण्डल, झांसी।